

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, जिला-उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री पर्वत सिंह चुण्डावत, R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 338/21 (वाद)

GCMS NO: 2021/821

अनवान



1. श्री प्रमा पिता रूपा रावत निवासी पिपलापानी तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज0।

.....वादी

बनाम

1. श्री नवला पिता भगवान रावत निवासी भिखावनीया (पीपलापानी) तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।
2. श्री राणेश पिता लोगर रावत निवासी भिखावनीया (पीपलापानी) तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।
3. श्री शंकर पिता लोगर रावत निवासी भिखावनीया (पीपलापानी) तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।
4. श्री पेमा पिता लोगर रावत निवासी भिखावनीया (पीपलापानी) तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।
5. श्रीमती रतुडी पुत्री लोगर रावत निवासी भिखावनीया (पीपलापानी) तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।
6. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री लोगर रावत निवासी भिखावनीया (पीपलापानी) तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।
7. श्रीमती दलुडी वेवा लोगर रावत निवासी भिखावनीया (पीपलापानी) तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।
8. श्रीमती जमनी पुत्री नाना रावत निवासी भिखावनीया (पीपलापानी) तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।
9. श्रीमती भगली वेवा नाना रावत निवासी भिखावनीया (पीपलापानी) तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।
10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार वल्लभनगर जिला उदयपुर राज।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित-1. श्री राजमल मेंनारिया, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:-:निर्णय: :-

निर्णय दिनांक :-26.10.2023

वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया।

अधिवक्ता वादी द्वारा तहसीलदार कानोड से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में अधिवक्ता वादी उपस्थित।

हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार कानोड से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी द्वारा तहसीलदार कानोड से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर बंटवाडा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त कर मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहूलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है। वादीगण से बंटवाडा शुल्क 100/- अक्षरें एक सौ रूपये स्टाम्प वसूल कर शामिल फाईल किया जावें।

परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि मौजा पीपलापानी पटवार हल्का पाणुन्द तहसील कानोड की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता है :-

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर प्र.सं. 33B/21 अनवान प्रेमा वनाग नवला निर्णय दिनांक 26.10.2023

क्र. सं.	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	खमान
1.	श्री प्रेमा पुत्र रूपा रावत सा.देह खातेदार	21	0.14	वा. द्वि.	0.98
		28	0.1150	वा. द्वि.	0.69
	<b>योग</b>	<b>किता 02</b>	<b>0.2550</b>	<b>-</b>	<b>1.67</b>
2.	गणेश पुत्र लोगर 49/870 रावत रहन UCCB भीण्डर	27	0.10	वा. द्वि.	0.70
	जमनी पुत्री नाना 49/290 रावत	28	0.1550	वा. द्वि.	0.99
	दलुडी पत्नि लोगर 49/870 रावत रहन UCCB भीण्डर			0.1250	
	नवला पुत्र भगवान 47/145 रावत	29	0.29	वा. द्वि.	2.03
	पेमा पुत्र लोगर 49/870 रावत रहन UCCB भीण्डर			वा. प्र.	0.06
	भगली पत्नि नाना 49/290 रावत			वा. द्वि.	0.70
	स्तुडी पुत्री लोगर 49/870 रावत रहन UCCB भीण्डर	30	0.03	वा. प्र.	0.10
लक्ष्मी पुत्र लोगर 49/870 रावत रहन UCCB भीण्डर	31	0.10	वा. द्वि.	0.10	
शंकर पुत्र लोगर 49/870 रावत रहन UCCB भीण्डर सा.देह खातेदार	32	0.05	वा. प्र.	0.10	
	<b>योग</b>	<b>किता 06</b>	<b>0.7250</b>	<b>-</b>	<b>4.58</b>

डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।  
निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।